मध्यप्रदेश शासन
गृह(पुलिस)विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

क्र0 एफ0 16–498/2011/बी–1/दो, भोपाल, दिनांक 07/12/2011

प्रति,

1. समस्त आयुक्त,
   मध्यप्रदेश,

2. समस्त जिला दण्डाधिकारी,
   मध्यप्रदेश,

विषय–व्यक्ति विशेष के लिये शस्त्र एवं गोला बारूद नीति।
संदर्भ–इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26.03.2011 एवं दिनांक 22.06.2011

–00–

संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करें जिसके अंतर्गत राज्य शासन द्वारा शस्त्र लायसेंस से संबंधित नवीन नीति एवं शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।

2– राज्य शासन द्वारा जारी नवीन नीति दिनांक 26.03.2011 की कंडिका viii)–नवीनीकरण के संदर्भ में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि समस्त अवर्जित शस्त्र लायसेंसों का नवीनीकरण आवेदक को शस्त्र लायसेंस जारी करते समय शर्तों एवं सीमाक्षेत्र के अंतर्गत ही किये जाए (सामान्यतः यदि इन शर्तों/सीमाक्षेत्र में परिवर्तन आवश्यक हो तो आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाकर सकारण आदेश पारित किया जाए) अतएव समस्त अवर्जित शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण किये जाने के अधिकार जिला दण्डाधिकारियों को प्रत्यायोजित किये जाते हैं।

3– शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण करते समय भारत सरकार की नीति सं. V–11016/16/2009–आर्म्स, दिनांक 31.03.2010 की कंडिका viii) एवं शस्त्र लायसेंस नियम 1962 के अनुभाग 54 में दिये गये प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाय।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मो.शाहिद अबसार)
अपर सचिव
म0प्र0शासन,गृह विभाग

पृ.क्र0 एफ0 16-498/2011/बी-1/दो, भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि-

1/ पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल ।

2/ समस्मत पुलिस अधीक्षक मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ ।

हस्ता/-

(मो.शाहिद अबसार)

अपर सचिव

म0प्र0शासन,गृह विभाग